संख्या:35/2021/1392012/12-2-2099/111/2021-1292/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग , उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक: 28/06/2021

विषयः-भारत सरकार द्वारा भारत के @75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे ¨भारत का अमृत महोत्सव-भारत @75¨ के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 07 जुलाई, 2021 तक फसल बीमा/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उप आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-15016-1/1/2020-क्रेडिट-1-पी-1 (एफटीएस:89323) दिनॉक-07.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे ''भारत का अमृत महोत्सव'' अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, योजना के सम्बन्ध में कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं योजना में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. योजना के सभी हितधारकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 75 सप्ताह के बनाये गये रणनीतिक कार्ययोजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः-

(1) 13 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का **क्रियान्वयन तिथि** के रूप में मनाया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत कृषकों की भागीदारी में तेजी लाने के उद्देश्य से खरीफ मौसम में जुलाई के प्रथम सप्ताह एवं रबी मौसम में दिसम्बर के प्रथम सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जायेगा। बीमा कम्पनी, बैंक व जनसुविधा केन्द्रों के सहयोग से प्रदेश के चयनित 75 जनपदों के 75 विकास खण्डों में जहॉ पर बीमित कृषकों की संख्या कम है, विशेषकर आकांक्षी व जनजातीय बाहुल्य जनपदों के ब्लाकों का चयन करते हुए गहन अभियान चलाकर कृषकों की सहभागिता बढ़ायी जायेगी।

(3) इस अभियान के 75 सप्ताह में 75 किसानों की सफलता की कहानी, प्रति सप्ताह प्रति कृषक की दर से सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया जायेगा।

3. भारत सरकार के पत्र दिनॉक 07.04.2021 के क्रम में पत्र संख्या- संख्या-15016-1/1-2020-क्रेडिट–I-पी-1,दिनॉक:11.06.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्यों में संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं पत्र संख्या-15016-1/1/2020-क्रेडिट-I-पी.1, दिनांक-18 जून 2021(प्रति संलग्न) द्वारा आकांक्षी जनपद एवं जनजाति बाहुल्य जनपदों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की कम भागीदारी वाले देश के 75 जनपदों के 75 विकास खण्ड का चयन करते हुए वहॉ पर गहन प्रचार-प्रसार कर कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है।

4. भारत सरकार द्वारा चयनित जनपदों में प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों के निम्नवत् ब्लाक चयन किये गये हैं:-

बहराइच (रकाबगंज), श्रावस्ती (सिरसिया), बलरामपुर (उतरौला), सिद्धार्थनगर (लोटन), फतेहपुर (हथगॉव), चित्रकूट (रामनगर), सोनभद्र (बमनी), चन्दौली (नियमताबाद)। तथा प्रदेश सरकार द्वारा चयनित जनपद एवं ब्लाक- वाराणसी (सेवापुरी), गोरखपुर (कैम्पियरगंज), देवरिया (पथरदेवा)।

5. भारत सरकार द्वारा दो प्रचार वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसमें से एक बहराइच से एवं दूसरा लखनऊ से प्रचार प्रारम्भ कर सम्बन्धित चयनित जनपदों के चयनित ब्लाकों में प्रचार-प्रसार का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रचार वाहनों की जनपदवार व्यवस्था सम्बन्धित जनपद की बीमा कम्पनियों द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वाहन केवल चयनित जनपदों के चयनित ब्लाकों के लिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह चयनित जनपदों के अवशेष ब्लाकों एवं योजना से आच्छादित अन्य जनपदों में भी मनाया जायेगा।

6. फसल बीमा सप्ताह के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निदेर्शो के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जा रही हैः-

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरूरी संदेश का प्रसारण ऑडियो विजुअल और रेडियों के माध्यम से क्षेत्रीय चैनलों पर स्थलीय कम्पेन के रूप में किया जायेगा,

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन व ऑल इण्डिया रेडियो पर वीडियो क्लिप प्रसारित किये जायेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जायेगा,

(iii) क्षेत्रीय समाचार पत्रों में क्षेत्र के लाभार्थी कृषकों की सफलता की कहानी पर प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी,

(iv) फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से ई-संवाद का आयोजन किया जायेगा। जिसमें कृषकों की शंकाओं के समाधान को प्रमुखता दी जायेगी,

(v) चयनित जनपदों के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाने का कार्य मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा दिनांक 01.07.2021 को प्रातः 10.00 बजे किया जायेगा। इसके पश्चात प्रचार वाहन अपने-अपने जनपदों को रवाना होगें,

(vi) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.2021 को प्रातः 10.00 बजे इस प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाते हुए जनपद के ब्लाकों/न्याय पंचायतों/ग्राम पंचायतों में निर्धारित रूट के अनुसार प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु रवाना किया जायेगा, अन्य जनपदों के प्रचार-प्रसार वाहन को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा दिनाकं 01.07.2021 को प्रातः 11:00 बजे हरी झण्डी दिखाकर जनपद में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना करेंगें,

(vii) योजना से सम्बन्धित प्रचार वाहन द्वारा लोकगीत और योजना से सम्बन्धित फिल्म दिखाने के पश्चात पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार दूसरे स्थान पर चले जायेंगे,

(viii) सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक, जनपद के बीमा प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार वाहन के रूट का निर्धारण इस प्रकार करेगें कि प्रचार-प्रसार अवधि में जनपद के सभी ब्लाक व न्याय पंचायत कवर हो जायेंगे। चयनित जनपदों के प्रचार-प्रसार वाहन के रूट इस प्रकार निर्धारित किये जायेगें कि वह भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वाहन के रूट से आच्छादित न हो,

(ix) जनपदों में बैठक/कैम्प का आयोजन किया जायेगा। उप कृषि निदेशक द्वारा तैयार किये जाने वाले क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रमों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा:-

क. उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद की स्थिति से अवगत कराया जायेगा,

ख. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तैयार कर फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा,

ग. फसल बीमा पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत जानकारी दी जायेगी,

घ. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर किसानों की शंकाओं का समाधान मौके पर उप कृषि निदेशक/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा,

(x) जनपद मुख्यालय पर आयोजित बैठक/कैम्प में जनपद के 05 सर्वाधिक क्षतिपूर्ति पाने वाले बीमित कृषक, सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक शाखा के प्रबन्धक, सर्वाधिक बीमा करने वाले जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं योजना के क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान करने वाले कृषि विभाग/उद्यान विभाग के कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत कार्मिकों का चयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जायेगा,

(xi) जनपद/विकास खण्ड/न्याय पंचायत पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कृषि विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, बैंक के प्रतिनिधि, प्राथमिक सहकारी समिति एवं जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेगें एवं इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेंगे,

(xii) जनपद के सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा जनपद के सभी बैंक शाखाओं, जन सुविधा केन्द्रो पर आयोजन से सम्बन्धित बैनर, पोस्टर आदि लगायेगें और आवश्यक मात्रा में पम्पलेट्स, लीफलेट्स आदि उपलब्ध करायेगें,

(xiii) प्रचार-प्रसार मुख्यतया कृषकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने, योजना के प्रति उत्पन्न जिज्ञासाओं के निराकरण करने एवं योजना में बैंको व जन सुविधा केन्द्रो के माध्यम से अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर केन्द्रित होगा,

(xiv) प्रचार-प्रसार में ग्राम प्रधान का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। कृषकों के द्वारा उठाये गये जिज्ञासाओं का निराकरण यथासमय तत्काल कराने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही जनपद के 5 सम्मानित कृषकों के ऑडियो/वीडियो बनाया जायेगा एवं उसका उपयोग जनपद में योजना के प्रचार-प्रसार में किया जायेगा। कम्पनी के स्तर से लगाये जाने वाले पोस्टरों में सम्मानित कृषकों के नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं फोटो भी प्रदर्शित किये जायेंगे,

(xv) अभियान अवधि में बैंक शाखाएँ एवं जनसुविधा केन्द्र के अधिकारियों द्वारा कृषकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी,

(xvi) जनपद में कार्यक्रम स्थल का चयन उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जायेगा। न्यायपंचायतों का चयन बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में किया जायेगा। अन्य न्याय पंचायत को चयनित न्यायपंचायतों से दूरी के हिसाब से सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार जनपद के सम्पूर्ण न्यायपंचायतों में कार्यक्रम लागू किये जायेंगे,

7. जनपद के उप कृषि निदेशक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार हेतु अभियान अवधि के कार्यक्रम को निर्धारित करते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा को उपलब्ध करायेगें एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान को सफल बनाने के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

8. उप कृषि निदेशक जनपद के सम्बन्धित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रदेश में प्रचलित कोविड-19 गाइडलाइन/शासनादेशों के अधीन कार्यक्रम को तैयार करेंगे। गाइडलाइन/शासनादेशों के अनुरूप कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अनुमोदित कार्यक्रम दिनांक 28.06.2021 तक निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को **ई-मेल-** agristatup@gmail.com एवं iecpmfbyup@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

9. समस्त कार्यों/कार्यक्रमों का सम्पादन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में नामित नोडल अधिकारी, उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा । जिला कृषि अधिकारी इस कार्य को समयान्तर्गत सम्पन्न कराने हेतु सह-नोडल के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में आयोजित होने वाले उक्त अभियान का पर्यवेक्षण/समीक्षा शासनादेश संख्या-866/12-2-2019-60(14)/2017,दिनॉक:19.03.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा और इसके सफल संपादन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10. जनपद स्तर पर कार्यक्रम हेतु खर्च अधिकतम रू0 15000.00 एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कैम्पों पर अधिकतम रू0 5000.00 की सीमा तक खर्च किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम में निर्धारित व्यय सीमा के अनुसार व्यय की जाने वाली धनराशि का वहन जनपद में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्यरत बीमा कम्पनी के द्वारा किया जायेगा।

कृपया जनपद स्तर पर निर्धारित उक्त कार्य-योजना के अनुसार विभागीय अधिकारियों और राज्य कर्मियों को इस अभियान में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। जिससे इस अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 35/2021/1392012/12-2-2099/111/2021/1292/201 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन,
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन,
3. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश,
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
5. अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
7. अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (PMFBY), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
8. उप आयुक्त, क्रेडिट-2, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,

9. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ,
10. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, लखनऊ,
11. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सप्रू मार्ग, लखनऊ,
12. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
13. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, पंचम तल, जीवन भवन फेस-2, नवल किशोर रोड, लखनऊ,
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0डी0एफ0सी0-एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, विधान सभा मार्ग, लखनऊ,
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, 3-गोखले मार्ग, लखनऊ,
17. प्रबन्धक, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
18. प्रबन्धक, कामन सर्विस सेन्टर (CSC), 2/496, विजयखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ,
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasan